कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय ज्ञाप:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता एवं पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2226-SEVDI INST. OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, CHINHAT-DEWA ROAD, LUCKNOW

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	P.G.DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	60	60
2	P.G.DIPLOMA IN FASHION TECHNOLOGY	60	60
3	LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE	60	60
4	DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION	60	60
5	MODERN OFFICE MANAGEMENT AND SECRETERIAL PRACTICE	45	45
6	CIVIL ENGINEERING	30	30
7	ELECTRICAL ENGINEERING	30	30
8	ELECTRONICS ENGINEERING	30	30

Scanned with CamScanner

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
9	HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY	30	30
10	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	30	30
11	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	30	30
12	INFORMATION TECHNOLOGY	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0- 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त क्षतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश

Scanned with CamScanner

लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ०सं०- प्रा०शि०प/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक,**SEVDI INST. OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, CHINHAT-DEWA ROAD, LUCKNOW**

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

Scanned with CamScanner

कार्यालय
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्रा०शि०/परिषद सम्बद्धता/2020/1971 लखनऊ: दिनांक 16-9-2020

-कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा [illegible] सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के पश्चात् प्राविधिक शिक्षा [illegible] सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को [illegible] की बैठक सम्पन्न हुई। [illegible] सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश [illegible] 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार [illegible] सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक [illegible] डिप्लोमा [illegible] पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, को ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता [illegible] सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने [illegible] ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को सम्पन्न सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उनकी अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

[illegible]

- ✓ संस्था, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1962, समय-समय [illegible] नियमावली-2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित [illegible] 40,000.00/- [illegible] प्रतिवर्ष [illegible] 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। [illegible] सत्र 2020-21 हेतु [illegible]
- ✓ संस्था को [illegible] प्राविधिक शिक्षा [illegible] नियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एआईसीटीई/पीसीआई [illegible] से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, लखनऊ, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा स्तर पाठ्यक्रम [illegible] नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने के [illegible] उत्तरदायित्व [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई पक्ष दायर किया जाता है [illegible] न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त क्षतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा स्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व एआईसीटीई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की **(काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश)** अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, [illegible] लिया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण प्रदर्शित करना होगा।
- ✓ छात्रों को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त [illegible] उपलब्ध कराने के साथ [illegible] सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष [illegible] भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम [illegible] प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है [illegible] किसी अन्य [illegible] के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किए जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(शैलेन्द्र कुमार कनौजिया)
सचिव/[illegible]

पृष्ठांकन- प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141 तद्दिनांक: 15-09-2020

प्रतिलिपि- [illegible] लखनऊ।

(शैलेन्द्र कुमार कनौजिया)
सचिव/[illegible]

Scanned with CamScanner

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या– प्रा0शि0/परिषद सम्बद्धता/2019/1132 लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

–कार्यालय ज्ञाप–

[illegible] सत्र 2019–20 हेतु [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 [illegible] दिनांक 14-5-2019 [illegible] सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

[illegible] सम्बद्धता समिति की बैठक [illegible] समिति द्वारा [illegible] निर्णय लिया गया :–

"परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाएं जिनके द्वारा एक/दो वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, एवं उनके द्वारा पाठ्यक्रम विस्तार हेतु आवेदन प्राप्त कराये गये हैं, के संबंध में समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया एवं पाठ्यक्रम विस्तार प्रदान करते हुए सत्र 2019–20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

अतः [illegible] परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गये निर्णय [illegible] उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन [illegible] प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

क्रमांक	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सत्र 2018-19 में परिषद/ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता	सत्र 2019-20 में आवंटित प्रवेश क्षमता
[illegible]	[illegible]	[illegible]	40	[illegible]
		[illegible]	40	[illegible]
		[illegible]	60	[illegible]
		[illegible]	40	[illegible]
		[illegible]	60	[illegible]
		[illegible]	40	[illegible]
		[illegible]	60	[illegible]
		[illegible]	40	[illegible]
		[illegible]	60	[illegible]
		[illegible]	30	[illegible]
		[illegible]	30	[illegible]
		[illegible]	30	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- [illegible] की सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद [illegible] शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित [illegible] रू0 30,000.00/– प्रतिवर्ष [illegible] रू0 45,000.00/– [illegible] रू0 22,000.00 [illegible] प्राप्त किया जायेगा। [illegible]

Scanned with CamScanner

[illegible] सत्र 2019-20 [illegible]

- [illegible] नियमावली-2000 [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] निर्धारित [illegible] अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

([illegible] कुमार सिंह)
सचिव

पृ०सं०- प्रा०शि०/परिषद सम्बद्धता/2019/[illegible]

तद् दिनांक 15-5-2019

प्रतिलिपि- प्रधानाचार्य/निदेशक, [illegible] इन्स्टी० ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नो० [illegible] रोड, [illegible] लखनऊ।

([illegible] कुमार सिंह)
सचिव

Scanned with CamScanner